

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/352

रीवा, दिनांक : 7-7-2022  
अंतिम कारण बताओ नोटिस

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य  
टाटा कालेज, ग्राम बटया, मऊगंज  
जिला रीवा (म.प्र.)

**विषय :-** सत्र 2021-2022 के लिये अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण किये जाने हेतु सम्बद्धता शुल्क जमा कराने बावत कारण बताओ नोटिस।



**सन्दर्भ :-** (1) कारण बताओ नोटिस क्रमांक/विकास/2021/347 दिनांक 4-6-2021  
(2) कारण बताओ नोटिस क्रमांक/विकास/2022/318 दिनांक 7-6-2022

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि पत्र, स्मरणपत्र, कारण बताओ नोटिस दिये जाने के बावजूद टाटा कालेज, ग्राम बटया, मऊगंज, जिला रीवा की सत्र 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 तीन सत्रों की सम्बद्धता शुल्क की राशि रुपये 6,10,300=00 (छः लाख दस हजार तीन सौ रुपये) मात्र अद्यावधि नहीं जमा करायी गई है। उक्त के सम्बन्ध में प्रकरण विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20-5-2022 के आइटम क्रमांक 03(1) में प्रस्तुत किया गया जहां पर निर्णय लिया गया है कि सम्बद्धता शुल्क की राशि जमा करायी जाने के पश्चात ही सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाय जिसका अनुमोदन अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत माननीय कुलपति जी द्वारा दिनांक 07-06-2022 को किया गया है।

अतः अंतिम रूप से आपको सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त राशि सात दिवस में जमा कराने की व्यवस्था करे अन्यथा परिनियम 27 के अनुसार सत्र 2021-2022 से महाविद्यालय की अस्थायी सम्बद्धता समाप्त की जावेगी जिससे होने वाली वैधानिक कठिनाइयों के लिए महाविद्यालय की स्वयं की जवाबदारी होगी।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव 06/07/22  


प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
2. कुलपति जी के सचिव।
3. कुलसचिव के निज सहायक।
4. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

  
सदस्य/कुलसचिव (विकास)

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/ 356

रीवा दिनांक : 19-7-2022

प्रति,

प्राचार्य  
शासकीय इन्दिरा गांधी गृहविज्ञान  
कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-20 22 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 20-05-2022 के आइटम क्रमांक 3(02) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.काम. भाग 1,2,3 - निर्धारित विषय-प्रति समूह-120सीट।
2	एम.एच.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न - आहार पोषण-30-30सीट।
3	एम.एससी. पूर्वाह्न रसायनशास्त्र-30सीट।
4	एम.एससी. पूर्वाह्न भौतिकी, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गणित-30सीट।
5	एम.ए. संस्कृत-60सीट।
6	एम.काम. वाणिज्य-30सीट।
स्ववित्तीय योजनान्तर्गत -	
1	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - कम्प्यूटर साइंस, बायोटेक्नालाजी-प्रति समूह-120सीट।
2	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - कम्प्यूटर एप्लीकेशन-प्रति समूह-120सीट।
3	एम.एस.डब्लू. पूर्वाह्न-60सीट।

आदेशानुसार

कुलसचिव  
18/07/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/357

रीवा दिनांक : 19-7-2022

प्रति,

प्राचार्य  
शासकीय महाविद्यालय  
राजनगर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2017-18 से 2021-20 22 बावत।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-05-2022 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण के आइटम क्रमांक 01 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2017-18 से 2021-2022 तक के लिए कक्षा/विषयों में कार्योत्तर अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए. प्रथम वर्ष हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र-150सीट।

आदेशानुसार,

*[Signature]*  
कुलसचिव  
18/07/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
4. उप कुलसचिव - परीक्षा।
5. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
6. वित्त नियंत्रक।
7. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
8. कुलपति जी के सचिव।
9. कुलसचिव के निज सहायक।
10. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

*[Signature]*  
सहायक कुलसचिव (विकास)  
19/07/2022

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/ 358

रीवा दिनांक : 25-7-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य  
स्व. जाहिदखान महाविद्यालय  
गुढ़, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2022-2023 बावत।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-05-2022 के आइटम क्रमांक 2(02) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2022-2023 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	पी.जी.डी.सी.ए.-80सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत कम्प्यूटर विषय में शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. लाइब्रेरी में पी.जी.डी.सी.ए. हेतु कुछ पुस्तकें एवं लैब में कुछ और कम्प्यूटर क्रय करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2023-2024 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार/

कुलसचिव

22/07/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
4. उप कुलसचिव - परीक्षा।
5. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
6. वित्त नियंत्रक।
7. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
8. कुलपति जी के सचिव।
9. कुलसचिव के निज सहायक।
10. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)



## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/ 359

रीवा दिनांक : 25-7-2022

प्रति,

प्राचार्य  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-05-2022 के आइटम क्रमांक 3(05) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एससी. भाग 1,2,3 - भौतिकी, रसायन, प्राणिविज्ञान, बनस्पतिविज्ञान, गणित एवं आधार पाठ्यक्रम-प्रति समूह-120सीट।
2	एम.ए. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध - अर्थशास्त्र, राजनीतिविज्ञान-180सीट।

आदेशानुसार

कुलसचिव  
अ.प्र.

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)  
अ.प्र.

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/ 360

रीवा, दिनांक : 25-7-2022


### अधिसूचना

प्राचार्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना के पत्र क्रमांक/738/स्था/1202/2021 दिनांक 22-06-2021 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30-05-2022 के आइटम क्रमांक-06 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना में संचालित एम.एच.एससी. गृह प्रबंधन कक्षा/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021-2022 से समाप्त की जाती है।

  
कुलसचिव  
25/07/22  
31/07/22

#### प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्राचार्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव, परीक्षा, प्रशासन विभाग।
7. सहायक कुलसचिव - गोपनीय, अकादमिक।
8. वित्ताधिकारी।
9. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
10. सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नवभारत, नवस्वदेश, विन्ध्य भारत की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11. कुलपति जी के सचिव
12. कुलसचिव के निज सहायक।
13. प्रमारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

  
सहायक कुलसचिव (विकास)  
25/07/22  
31/07/22

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/ 361

रीवा दिनांक : 26-7-2022

प्रति,

प्राचार्य  
शासकीय इन्द्रा गांधी कन्या महाविद्यालय  
सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-05-2022 के आइटम क्रमांक 3(04) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	एम.ए. पूर्वाह्न/उत्तराह्न- समाजशास्त्र, संगीत।
स्ववित्तीय योजनान्तर्गत -	
1	एम.ए. पूर्वाह्न/उत्तराह्न- अर्थशास्त्र, राजनीति।
2	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न - रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र।
3	बी.काम. भाग 1,2,3-समस्त अनिवार्य विषय।
4	बी.ए. भाग 1,2,3- इतिहास।
5	एम.ए. पूर्वाह्न - हिन्दी, अंग्रेजी।
6	बी.एससी. भाग 1,2,3- कम्प्यूटर साइंस।
7	बी.काम. भाग 1,2,3- कम्प्यूटर एप्लीकेशन।
8	एम.काम. पूर्वाह्न/उत्तराह्न।
9	गृहविज्ञान स्नातकोत्तर स्तर पर फ्रूड एण्ड न्यूट्रेशन पूर्वाह्न।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/362

रीवा, दिनांक : 26-7-2022

प्रति,

अध्यक्ष  
शासी निकाय  
कृष्णा कालेज आफ एजुकेशन  
मनगवां, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- परिनियम 28 कालेज कोड के तहत प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति का अनुमोदन।


सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक APSU / कालेज कोड 28 / 2022 / 83  
दिनांक 30-05-2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भेजे गये परिनियम 28 कालेज कोड के तहत प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 03-06-2022 के आइटम क्रमांक 04 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 21-06-2022 के अनुसार निम्नानुसार किया जाता है -


- 1 डॉ. स्वर्णलता त्रिपाठी - प्राचार्य
- 2 धर्मेन्द्र कुमार सिंह - सहायक प्राध्यापक शिक्षा के परिक्षेत्र

उपर्युक्त नियुक्त प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापक के नाम परिनियम 19 के तहत माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 21-06-2022 से नियमानुसार वरिष्ठता सूची में अंकित किये जायेंगे।

भवदीय,  
  
23/07/22  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
2. प्राचार्य, कृष्णा कालेज आफ एजुकेशन, मनगवां, जिला रीवा (म.प्र.)।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्।
4. उप कुलसचिव - परीक्षा, प्रशासन।
5. सहायक कुलसचिव - विकास, गोपनीय, अकादमिक।
6. वित्त विभाग।
7. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

  
23/07/22



## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/363

रीवा, दिनांक : 26-7-2022

प्रति,

अध्यक्ष  
शासी निकाय  
मायाराम महाविद्यालय, मेढौली, मोरबा, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

विषय :- परिनियम 28 कालेज कोड के तहत प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक-A/48/22 दिनांक 24-05-2022


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भेजे गये परिनियम 28 कालेज कोड के तहत प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-05-2022 के आइटम क्रमांक 05 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 21-06-2022 के अनुसार निम्नानुसार किया जाता है -

1. डॉ. सुरेश कुमार सिंह - प्राचार्य
2. डॉ. करणवीर विजय प्रताप कुशवाहा - क्रीडा अधिकारी
3. डॉ. सुनीता सिंह - सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता समाजशास्त्र
4. डॉ. दीनानाथ यादव - सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता गणित
5. अभिषेक कुमार सोनी - सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता म्यूजिक
6. डॉ. अविनाश राय - सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता समाजकार्य
7. श्याम सुन्दर - सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता ललित कला

उपर्युक्त नियुक्त प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापकों के नाम परिनियम 19 के तहत माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 21-06-2022 से नियमानुसार वरिष्ठता सूची में अंकित किये जायेंगे।

†  
वदीय,

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
2. प्राचार्य, मायाराम महाविद्यालय, मेढौली, मोरबा, जिला सिंगरौली (म.प्र.)।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्।
4. उप कुलसचिव - परीक्षा, प्रशासन।
5. सहायक कुलसचिव - विकास, गोपनीय, अकादमिक।
6. वित्त विभाग।
7. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/364

रीवा, दिनांक : 26-7-2022  
अंतिम कारण बताओ नोटिस

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य  
एम.आई.टी. कालेज  
मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)

**विषय :-** सत्र 2021-2022 के लिये अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण किये जाने हेतु सम्बद्धता शुल्क जमा कराने बावत कारण बताओ नोटिस।


**सन्दर्भ :-** (1) कारण बताओ नोटिस क्रमांक/विकास/2021/347 दिनांक 4-6-2021  
(2) कारण बताओ नोटिस क्रमांक/विकास/2022/318 दिनांक 7-6-2022

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि एम.आई.टी. कालेज, मऊगंज, जिला रीवा की अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 के लिए गठित निरीक्षण समिति के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है कि दिनांक 22-9-2021 को दोपहर 1.00 बजे महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया, महाविद्यालय बंद पाया गया, मुख्य दरवाजे में ताला बंद था, इसलिये निरीक्षण नहीं हो पाया, ऐसी स्थिति प्रतिवेदन नहीं दिया जा सकता है। साथ ही महाविद्यालय को पत्र, स्मरणपत्र, कारण बताओ नोटिस दिये जाने के बावजूद सत्र 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 के लिये सम्बद्धता शुल्क की राशि रुपये 3,16,700/- (तीन लाख सोलह हजार सात सौ रुपये) मात्र अद्यावधि नहीं जमा करायी गयी है। प्रकरण विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30-5-2022 के आइटम क्रमांक 03 में प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त अनुसार सम्बद्धता शुल्क की राशि जमा कराने एवं महाविद्यालय बन्द होने सम्बन्धी सार्थक कारण बताये जाने हेतु महाविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी की जाय, जिसका अनुमोदन अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत माननीय कुलपति जी द्वारा दिनांक 21-6-2022 को किया गया है।

अतः आपको अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी की जाती है कि उपर्युक्त अनुसार सम्बद्धता शुल्क जमा करने एवं महाविद्यालय बन्द होने का कारण सात दिवस में प्रस्तुत किया जाय अन्यथा सत्र 2021-2022 से परिनिषम 27 के अनुसार महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त की जावेगी जिससे होने वाली वैधानिक कठिनाइयों के लिए महाविद्यालय की स्वयं की जवाबदारी होगी।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव 23/07/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
2. कुलपति जी के सचिव।
3. कुलसचिव के निज सहायक।
4. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

  
23/07/22

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2022 / 366

रीवा, दिनांक : 26-7-2022

### अधिसूचना

प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमरपाटन, जिला सतना के पृष्ठांकन पत्र क्रमांक/38/स्था/2022 अमरपाटन, दिनांक 18-4-2022 एवं उप सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल के पृष्ठांकन पत्र क्रमांक/1279/909/2013/38-2 भोपाल दिनांक 30-6-2016 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30-05-2022 के आइटम क्रमांक 07 के निर्णयानुसार तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, शासकीय महाविद्यालय, अमरपाटन, जिला सतना का नाम परिवर्तन कर "शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमरपाटन, जिला सतना" किया जाता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव  
S. S. S.

#### प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमरपाटन, जिला सतना।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव, परीक्षा, प्रशासन विभाग।
7. सहायक कुलसचिव - गोपनीय, अकादमिक।
8. वित्त नियंत्रक।
9. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
10. कुलपति जी के सचिव
11. कुलसचिव के निज सहायक।
12. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

S. S. S.

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/ 367

रीवा दिनांक : 26-7-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य  
जानकी प्रसाद शिक्षा महाविद्यालय  
शहपुर, नागौद, जिला सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-05-2022 के आइटम क्रमांक 3(02) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-180सीट।
2	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष प्लेन-120सीट।
3	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, इतिहास, समाजशास्त्र, कम्प्यूटर-120सीट।
4	एम.एस.डब्ल्यू. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध-150सीट।
5	पी.जी.डी.सी.ए.-120सीट।
6	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, रसायन, गणित, (अतिरिक्त विषय) बायोटेक्नालाजी, कम्प्यूटर-120सीट।
7	बी.ए. प्रथम वर्ष (अतिरिक्त विषय) अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र-120सीट।
8	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष-120सीट।
9	बी.ए.एलएल.बी. प्रथम वर्ष (पांच वर्षीय पाठ्यक्रम)-80सीट।

नोट -

1. बार काउन्सिल आफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात छात्रों को प्रवेश दिया जाय।
2. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति करें।
3. प्रयोगशालाओं को उन्नत करें।
4. पुस्तकालय में विषयवार पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी एमपी आनलाइन अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।